संख्या-23/2026/241-12-3-2026-1707453

प्रेषक

प्रदीप मिश्र
अनु सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

कृषि निदेशक
उत्तर प्रदेश।

कृषि अनुभाग3 **लखनऊ:: दिनांक: 22-04-2026**

विषय:- उ0प्र0 नि:शुल्क दलहन बीज मिनीकिट वितरण एवं प्रसार कार्यक्रम (100 प्रतिशत राज्य पोषित) योजना के अन्तर्गत वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-एस0एफ0/52जी/2401-07/वित्तीय स्वीकृति/ 2026-27, दिनांक 08.04.2026 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष उ0प्र0 नि:शुल्क दलहन बीज मिनीकिट वितरण एवं प्रसार कार्यक्रम (100 प्रतिशत राज्य पोषित) योजना के अन्तर्गत अनुदान सं0-11 हेतु रू0 3000.00 लाख की धनराशि की स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित विवरणानुसार/शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं:-

धनराशि लाख रु0 में

योजना का नाम	मानक मद	प्राविधानित धनराशि	स्वीकृत धनराशि
अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक-2401-फसल कृषि कर्म-103-बीज-07-उ0प्र0 नि:शुल्क दलहन बीज मिनीकिट वितरण एवं प्रसार कार्यक्रम (100 प्रतिशत राज्य पोषित)	**27-सब्सिडी**	2000.00	2000.00
	42-**अन्य व्यय**	1000.00	1000.00
योग		**3000.00**	**3000.00**

(धनराशि रु तीस करोड़ मात्र)

2- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित कार्ययोजना के अनुसार योजना की गाइडलाइन्स का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

3- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं मदों पर किया जायेगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही इसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरें मद में इसका व्यावर्तन किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4- कृषि निदेशक द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे कार्य पूर्व में राज्य सरकार या अन्य किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है और न ही कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है, अथवा किसी प्रकार की द्विरावृत्ति न हो।

5- प्रस्ताव में आंकडों की शुद्धता का सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व कृषि निदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ का होगा।

6- स्वीकृत वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध बजट प्राविधान की सीमा के अन्तर्गत रहेगी, यह कृषि निदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ का उत्तरदायित्व होगा।

7- निर्गत धनराशि के सापेक्ष व्यय धनराशि का विवरण/उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।

8- वित्तीय स्वीकृतियॉ जारी करने अथवा धनराशि को विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने से पूर्व कृषि निदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा की जाने वाली समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति अनिवार्यतः सुनिश्चित कर ली जाय। यह भी स्पष्ट करा लिया जाये कि धनराशि का विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है।

9- जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष/ नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

10- व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के सबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

11- "उ0 प्र 0 दलहन बीज मिनीकिट वितरण कार्यक्रम" योजनान्तर्गत मा0 मंत्रिपरिषद के अनुमोदन से निर्गत शासनादेश संख्या-533/12-3-2023-100(60)/2013TC-V दिनांक 12.05.2023 का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। साथ ही योजना के सम्बन्ध मे शासन स्तर से समय-समय पर निर्गत दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

12- वित्तीय वर्ष 2026-27 में कार्ययोजना की प्रशासनिक स्वीकृति के निर्गतोपरान्त ही उक्त स्वीकृतिधनराशि का आवंटन/आहरण/व्यय करने का पूर्ण उत्तरदायित्व कृषि निदेशक उ0प्र0 लखनऊ का होगा।

13- वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत मितव्ययिता संबंधी निर्देशों/शासनादेशों तथा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-4/2026/बी-1-812/दस -2026-231/2026 दिनांक 28.03.2026 में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा साथ ही इस सम्बन्ध में वित्त विभाग/शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों/दिशा-निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय,

प्रदीप मिश्र
अनु सचिव

संख्या- 23/2026/241(1)/12-3-2026-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार,लेखा एवं हकदारी प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0।
2. महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. सचिव,भारत सरकार,कृषि मंत्रालय (कृषि एवं सहकारिता विभाग)कृषि भवन, नई दिल्ली।
4. अपर कृषि निदेशक (बीज एवं प्रक्षेत्र), कृषि भवन,उत्तर प्रदेश,लखनऊ।
5. संबंधित कोषाधिकारी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

6. सबंधित जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

7. संबंधित जिला कृषि अधिकारी द्वारा कृषि निदेशक उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

8. संबंधित संयुक्त निदेशक (प्रसार) नियोजन,दलहन मक्का कृषि भवन, लखनऊं।

9. नियोजन अनुभाग-3/राज्य योजना आयोग-2/वित्त (ई)-1/कृषि अनुभाग-5,उत्तर प्रदेश शासन।

10. शासनादेश की वेबसाइट http://shasanadesh.up.nic.in पर अपलोड करने हेतु।

12. गार्ड बुक।

आज्ञा से,
प्रदीप मिश्र
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।